



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 नवंबर, 2019

(अग्रहायण 5, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 02 एवं 04 से 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री चिन्तामणी महाराज अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा

अध्यक्ष महोदय ने भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उद्गार व्यक्त किये।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3. विलोपन

भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा आरोपात्मक कथन किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने आरोपात्मक कथन को विलोपित किया ।

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने इस पर खेद प्रकट किया ।

4. भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा **(क्रमशः)**

श्री अजीत जोगी, डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, सदस्य, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री देवव्रत सिंह, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शैलेश पांडे, चन्द्रदेव प्रसाद राय, रामकुमार यादव, कुंवर सिंह निषाद,

5. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज संविधान को आत्मार्पित करने की 70 वीं वर्षगांठ पर विधान सभा में विशेष चर्चा हुई, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि संविधान की उद्देशिका एवं अनुच्छेद 51-क में वर्णित मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा देश के निर्माण एवं विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ।

6. वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 55, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार पांच सौ छियालीस करोड़, इक्यासी लाख, इकसठ हजार, पांच सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्य द्वारा आपत्तिजनक कथन किये जाने पर श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री एवं सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा आपत्ति किये जाने पर आसंदी के निर्देश पर माननीय सदस्य द्वारा आपत्तिजनक शब्द वापस लिये गये और खेद व्यक्त किया गया ।

7. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

8. वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान **(क्रमशः)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतराम नेताम, केशव प्रसाद चन्द्रा, लालजीत सिंह राठिया, देवव्रत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की गई ।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 नवंबर, 2019 (अग्रहायण-6, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा